

प्रतापगढ़ संदेश

भाजयुमो ने फूंका राहुल गांधी का पुतला

संसद में दिये गये बयान पर
मार्गी मारे राष्ट्रीय अध्यक्ष

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम एवं वर्मा राहुल गांधी का पुतला उन्नीस अंडेर्कटर चैराहे पर युवा मार्गी द्वारा किया गया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष अंशुमान सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया है कि जो लोग अपने आप को हिन्दू कहते हैं, 24 घण्टे दिसा, तरह, असत्ता कहते हैं। ऐसे बयान से दृढ़ उम्मीद बेहद आहत व आकोशित हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह सोच हिन्दुओं के प्रति पृष्ठात्मक है। राहुल गांधी इसके लिए पूरे देश के हिन्दुओं से माफी मांगे। राहुल गांधी का चेहरा बेनकाब हो गया। चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया। इस कार्यक्रम पूर्व जिला महामंत्री



राहुल गांधी का पुतला घूंकते भाजयुमो कार्यकर्ता।

लिए पूरे देश के हिन्दुओं से माफी मांगे। राहुल गांधी का चेहरा बेनकाब हो गया। चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया। यह सोच हिन्दुओं के प्रति पृष्ठात्मक है। राहुल गांधी इसके

ट्राली की चपेट में आने से युवती घायल, रेफर अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। ट्रैक्टर द्वाली ये द्वारा युवती गंभीर रूप से घायल हो गयी। प्रारंभिक उपचार के बाद गंभीर दर्द में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सार्वीपुर थाना क्षेत्र के सिताली का पुस्ता गांव निवासी अजय कुमार विश्वकर्मा की पुस्ती शीलु विश्वकर्मा 18 मंगलवार को सड़क के किनारे बच्चों के साथ खेल रही थी। इस बीच रोड से टैक्टर ट्राली गुजारी कि किसी बच्चे के द्वारा धक्का लगा जाने से शीलु ट्रैक्टर ट्राली के नीचे चली गयी। ट्राली का पहिया युवती के काम के बाद रोद निकल गया। गंभीर रूप से घायल युवती को परिजन इलाज के लिए सार्वीपुर सीएचसी ले गये। यहां प्रारंभिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

रंजिशन युवक को पीट कर किया घायल, गंभीर हालत में रेफर

अखंड भारत संदेश

पट्टी, प्रतापगढ़। रंजिशन पड़ोसियों ने युवक पर लाठी-डंडे द्वाली से युवती गंभीर रूप से घायल हो गयी। प्रारंभिक उपचार के बाद गंभीर दर्द में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सार्वीपुर थाना क्षेत्र के सिताली का पुस्ता गांव निवासी अजय कुमार विश्वकर्मा की पुस्ती शीलु विश्वकर्मा 18 मंगलवार को सड़क के किनारे बच्चों के साथ खेल रही थी। इस बीच रोड से टैक्टर ट्राली गुजारी कि किसी बच्चे के द्वारा धक्का लगा जाने से शीलु ट्रैक्टर ट्राली के नीचे चली गयी। ट्राली का पहिया युवती के काम के बाद रोद निकल गया। गंभीर रूप से घायल युवती को परिजन इलाज के लिए सार्वीपुर सीएचसी ले गये। यहां प्रारंभिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उसे बुरी

शब्दों पिता मौसम वा मां गुदमा को भी मारा पीटा गया। पुलिस ने भाग तो घर में घुसकर जान से चारों घायलों का मेडिकल कराकर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। गंभीर रूप से घायल सलमान का इलाज जिला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

अपहरण के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। नवगत पुलिस अधीक्षक डॉ अनिल कुमार एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह एवं सीओ सिटी शिवानारायण के निदेशन में अंतू पुलिस ने अपहरण के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को दौड़क गिरफतार किया। अंतू प्रभारी निरीक्षक ट्रैक्टर सिंह के निर्देश पर युवक हवाई विमान बारात गया हुआ था। जिसके बाद शाम कीरब 6 बजे जब प्रहरी उसपर हमला बोल दिए। उसे बुरी

कपड़े की दुकान में चोरी, जांच में जुटी पुलिस

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। लालगंज कोतवाली के रामपुर बाबली चैराहे पर स्थित कपड़े की दुकान में चोरी सोमवार की बात बोल दिया गया। जिसके बाद शाम कीरब 6 बजे जब प्रहरी उसपर हमला बोल दिए। उसे बुरी

लकड़ी के कारखाने में चोरी, दी गई तहरीर

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। लकड़ी बेन कारखाने से आरोपियों द्वारा वेशाकीमती खिलड़ी दरवाजा तथा चीरी हुई लकड़ी के लेकर पीड़ित को तेलीपुर पुलिस को तहरीर दी है। थाना चैर के सिध्धांत निवासी मुकुन्द वर्मा पूर्व रामछेलावन ने मंगलवार को पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि बीती पहली जुलाई को वह रात कीब बाड़ आठ बजे घर जा रहा था तो देखा कि उसके कारखाने पर कुछ संदिग्ध लोग लाठी लेकर बेठे

थे। पीड़ित का कहना है कि उसके गांव से लकड़ी का कारखाना तीन किलोमीटर दूर है। अगली सुबह जब वह कारखाने पर पहुंचा तो वहां से तीन दरवाजा, दस खिलड़ी, पांच गेट व चीरी हुई लकड़ी गायब मिली। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कारखाने से हजारों की कीमती लकड़ी के चीरी किये जाने को लेकर तहरीर दी है। प्रधारी निरीक्षक ने रेन्डर सिंह के लिए खिलड़ीयों को सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि भाजपा नेता राजा अनिल प्रताप सिंह ने कहा कि कबड्डी मिट्टी से मैं पर आ गई है। इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। प्रतापगढ़ हमेशा से खेल प्रतिभाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कभी न खुलने की दास्तां को बद्धां करते आंगनबाड़ी केंद्र

केंद्रों पर फैली गंदगी मासूमों के जीवन पर खतरा, सुपरवाइजर के निरीक्षण पर लग चिन्ह

अखंड भारत संदेश

लालगंज, प्रतापगढ़। शेव के कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों को देखने से यही लगता है कि जैसे इनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। केंद्र पर फैली गंदगी मासूमों के जीवन पर खतरा बनकर मंडग रही है केंद्रों पर हो रही लापत्तवाही सुपरवाइजर के निरीक्षण पर भ्रष्ट चिन्ह चिन्ह

तक ताला बंद मिला। अर्जुनपुर के देवापुर से यही लगता है कि जैसे इनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। केंद्र पर फैली गंदगी मासूमों के जीवन पर खतरा बनकर मंडग रही है केंद्रों पर हो रही लापत्तवाही सुपरवाइजर के निरीक्षण पर भ्रष्ट चिन्ह चिन्ह

तक ताला बंद मिला। अर्जुनपुर के देवापुर से यही लगता है कि जैसे इनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। केंद्र पर फैली गंदगी मासूमों के जीवन पर खतरा बनकर मंडग रही है केंद्रों पर हो रही लापत्तवाही सुपरवाइजर के निरीक्षण पर भ्रष्ट चिन्ह चिन्ह

तक ताला बंद मिला। अर्जुनपुर के देवापुर से यही लगता है कि जैसे इनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। केंद्र पर फैली गंदगी मासूमों के जीवन पर खतरा बनकर मंडग रही है केंद्रों पर हो रही लापत्तवाही सुपरवाइजर के निरीक्षण पर भ्रष्ट चिन्ह चिन्ह

तक ताला बंद मिला। अर्जुनपुर के देवापुर से यही लगता है कि जैसे इनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। केंद्र पर फैली गंदगी मासूमों के जीवन पर खतरा बनकर मंडग रही है केंद्रों पर हो रही लापत्तवाही सुपरवाइजर के निरीक्षण पर भ्रष्ट चिन्ह चिन्ह

तक ताला बंद मिला। अर्जुनपुर के देवापुर से यही लगता है कि जैसे इनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। केंद्र पर फैली गंदगी मासूमों के जीवन पर खतरा बनकर मंडग रही है केंद्रों पर हो रही लापत्तवाही सुपरवाइजर के निरीक्षण पर भ्रष्ट चिन्ह चिन्ह

तक ताला बंद मिला। अर्जुनपुर के देवापुर से यही लगता है कि जैसे इनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। केंद्र पर फैली गंदगी मासूमों के जीवन पर खतरा बनकर मंडग रही है केंद्रों पर हो रही लापत्तवाही सुपरवाइजर के निरीक्षण पर भ्रष्ट चिन्ह चिन्ह

तक ताला बंद मिला। अर्जुनपुर के देवापुर से यही लगता है कि जैसे इनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। केंद्र पर फैली गंदगी मासूमों के जीवन पर खतरा बनकर मंडग रही है केंद्रों पर हो रही लापत्तवाही सुपरवाइजर के निरीक्षण पर भ्रष्ट चिन्ह चिन्ह

तक ताला बंद मिला। अर्जुनपुर के देवापुर से यही लगता है कि जैसे इनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। केंद्र पर फैली गंदगी मासूमों के जीवन पर खतरा बनकर मंडग रही है केंद्रों पर हो रही लापत्तवाही सुपरवाइजर के निरीक्षण पर भ्रष्ट चिन्ह चिन्ह

तक ताला बंद मिला। अर्जुनपुर के देवापुर से यही लगता है कि जैसे इनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। केंद्र पर फैली गंदगी मासूमों के जीवन पर खतरा बनकर मंडग रही है केंद्रों पर हो रही लापत्तवाही सुपरवाइजर के निरीक्षण पर भ्रष्ट चिन्ह चिन्ह

तक ताला बंद मिला। अर्जुनपुर के देवापुर से यही लगता है कि जैसे इनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं

संपादक की कलम से

कड़वी यादों की खो रही सीख

निश्चय ही स्वातंत्र्योत्तर भारत के लोकतान्त्रिक इतिहास के एक गलत और अधैरे दौर के रूप में हमें 'इमरजेंसी' को याद रखना चाहिए, ताकि सदैव ध्यान रहे कि निरंकुश सत्ता प्रवृत्तियों को पहचानने और उनका मुकाबला करने में कभी चूक न हो, क्योंकि ऐसी चूक हमारे गणतंत्र का सरवंगभी और भीषण संकट में लाल सकती होती है। निरंकुशता पर किसी दल या विचारधारा विशेष का एकाधिकरण नहीं होता। भारत में जन महिने का अंतिम सप्ताह हमारे आधिकारिक इतिहास के जिन पुष्टें को फिर देखन और उलटने-पलटने का एक बेचैन अवसर बन कर आता है, उसमें से एक खास है 25 और 26 जून, 1975 की दरियानी रात में आंतरिक आपातकाल लागू किया जाना और फिर लगभग 21 महीनों यानी पैने दो साल का उत्तरकाल आजाद हिंदुस्तान में अभूतपूर्व कालखण्ड। वह दौर 'इमरजेंसी' के नाम से कुरुक्षेत्रात हुआ और इस शब्द की 'लोकप्रियता' के अनेक प्रमाणों में से एक वह है कि आजकल बेहद साफ तौर पर कलात्मकता या व्याथार्थ प्रतिवर्बित करने की तड़प से इतर खुलेआम एकांशी और मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति पक्षधर फिल्में रजनीतिक उद्देश्यों से बनाए जाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसकी एक महत्वपूर्ण अगानी कड़ी जो फिल्म है उसका नाम ही 'इमरजेंसी' है। जब वह आपातकाल देश पर था योग गया था, तब मैं बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी (अंतिम वर्ष) की परीक्षा (सत्र विलम्बित था) दे चुका था या देने को था और ग्रीष्मावकाश में अपने ननिहाल दिल्ली आया था। देश में तब चल रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन (जिससे हम भी उद्भवित थे) से उपजी बैचैनी आसपास लगातार महसूस हो रही थी। 12 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगदेहन लाल सिन्हा का वह प्रसिद्ध निर्णय आया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को अवैध घोषित किया गया था। दिल्ली और देश का माहोल और उत्तप्त हो उठा था। बहरहाल, कुछ दिनों बाद मैं अपनी बड़ी मौजूदी के पास हाथरस गया, जहां अच्छा-खासा बुखार चढ़ आया, तो कई दिन वहाँ रहना पड़ा। बीमारी में दीन-दुनिया की खबर भी कुछ कम ही रही थी। वहाँ से मैं अपनी उस बात के अगले चरण फर्स्ट्क्लावाद जिले के गांव कम्पिल के लिये रखना हुआ। मैं 25 जून की रात हाथरस से किसी ऐसी ट्रेन से सफर पर चला, जिससे कासगंज तक जा कर गांडी बदलनी होती थी। भीड़ ऐसी थी कि हाथरस से कासगंज तक कहीं ढांग से टिकने की जगह भी नहीं मिली। खड़े-खड़े हाल पस्त हो गया। 26 जून, 1975 की सुबह गांडी कासगंज पहुंचे। अगली गांडी आगे मैं घण्टा-डेढ़ घण्टा बाकी था। बुखार के बाद की कमजोरी, रात्रि जागरण और घण्टों खड़े रह कर शरीर और मन चूर हो रहे थे। मैं लेटफॉर्म पर एक बेंच पर आंखें मूँद कर बैठ गया था। तभी अखबारों के हाँकर वहाँ आ पहुंचे और देश में आपातकाल लागू हो चुकने का उद्घोष करने लगे। तीर खाए जीव की तरह अत्मसेवा जैसे तड़पने लगे। झटक कर एक अखबार खरीदा और पढ़ गया। याद है कि उत्तेजनावश अखबार पकड़े हाथ थरथरा रहे थे और उसका कागज बड़ा अजीब और अजनबी लग रहा था। कासगंज के रेलवे स्टेशन की वह भौं जैसे जल उठी। थकान से लस्त था, पर आंखों और मन की कड़वाहट और एक अजीब सी सनसनी में नींदों बहुत दूर जा चुपी। बहुत सारी दूसरी चीजों की तरह सुबह की पहली चाय भी बिल्कुल कसैती हो गई थी। आपातकाल के दैरान क्या कुछ सोचा-देखा-महसूस किया और प्रतिरोध में एक विद्यार्थी के रूप में ही अपनी छोटी सी भूमिका निभाने में क्या किया, फिर कैसे 'दूसरी आजादी' आई, उसका क्या हश हुआ, मैं विचारों और सम्वेदनों के किनाने सोपानों से गुजरा, वह सब विस्तार से बयान करने की गुंजाइश अभी नहीं है। लेकिन यह दर्ज कर देने में कोई हर्ज नहीं कि एक सहज बुद्धि और विवेक संपन्न और लिखने-पढ़ने का रुझान रखने वाले किशोर के रूप में मन में जो विरोध और विद्रोह का भाव था, उसे एक अधिक सुविचारित दिशा तब मिली, जब मैं 1976 से बीचूर्य में ही पत्रकारिता का विद्यार्थी बन गया। अब यह बोध था कि जीवन की जो राह चुनी है, उसमें अभिवक्ति की स्वतंत्रता एक

निवार्य मूल्य है, जो तब गहर संकर में था। अमूमन भारत के तत्कालीन मीडिया नगत ने (तब गैर-सरकारी संचार माध्यम के रूप में सर्वसुलभ सिफर्ट अखबार हुआ) नज़र थे, हालांकि तेज-तर्र लोग बीवीसी, वॉयस ऑफ अमेरिका आदि कुछ देशी रेडियो स्टेनेजों से भी जुड़वा रखते थे) विशेष गैरवशाली प्रतिरोध की गयाथा। वज्यादा नहीं रहीं रहीं। लालकृष्ण आडवाणी ने बाद में पत्रकारिता जगत के लोगों के लिए वह प्रसिद्ध वाक्य कहा था कि उन्हें जब झुकने के लिए कहा गया, तो वे रेंगे रेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि साहस के कोई सुरक्षित समय-समय पर कौंधते नहीं थे। डे प्रतिष्ठानों में 'इंडियन एक्सप्रेस' का आलोचनात्मक स्वर सबसे प्रखर और मुख्य नाना रहा। उसमें कुलदीप नैयर का विशेष तौर पर पहचाना और सम्मानित नाम बना रहिल चक्रवर्ती संपादित पत्रिका 'फिनस्ट्रीम' और राजमोहन गांधी के सम्पादन में 'हेमट' ने भी अपनी अपेक्षाकृत सीमित पहुंच के बावजूद पत्रकारिता के संकलन विकायों में एक 'स्पीक ट्रू टु पॉवर' को चरितार्थ किया। इस संदर्भ में एक प्रसंग यात्रा भी है। बौतर पत्रकारिता विद्यार्थी जब हम 'स्टडी-टूर' पर दिल्ली आए, तो कैंपसों में ले जाए गए। उनमें आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र और राष्ट्रीय आकाशवाणी मुख्यालय भी गंतव्य थे। आपातकाल के उन कड़वे दिनों से विश्वविद्यालय में तीन-चार साथियों ने तय किया कि हम इस 'सरकारी भोंपू' में जाकर क्या करेंगे। म उसके बदले निडर समाचारपत्र 'इंडियन एक्सप्रेस' के कार्यालय जाकर निर्भीक वकारिता के नायक आदरणीय कुलदीप नैयर जी से मिलेंगे। सो कुछ बहाना बन लियर हम आकाशवाणी जाने से बच गए और 'इंडियन एक्सप्रेस' चले गए। नैयर बहव ने 'बी ब्रेव' लिखकर अटॉप्रोफ दिया, जो निधि बन गया।

टकराव को टालें, लोकतंत्र की मजबूती पर दें ध्यान

चुनावों के बाद जैसी उम्मीद की जा रही थी, लगता है हमारे लोकतंत्र की गाड़ी उस दिशा में नहीं जा रही। उम्मीद यह की जा रही थी कि लोकसभा चुनावों में जनादेश का सम्मान करते हुए पक्ष-प्रतिपक्ष मिलकर संसदीय परपराओं को आगे ले जाने की दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन, राष्ट्रपति के अधिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सोमवार को लोकसभा में जो कुछ हुआ, उससे तो लगता है कि संसद में पक्ष-प्रतिपक्ष में टकराव के नए दरवाजे खुल रहे हैं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार बोलते हुए राहुल गांधी ने कुछ ऐसे मुद्रे उठाए जिनसे बचा जा सकता था। बीस साल से सांसद के रूप में सदन का हिस्सा बन रहे राहुल गांधी ने स्पीकर औमं बिरला तक को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर उहोंने मामले को दूसरी दिशा में मोड़? की कोशिश भी की। सवाल यह उठता है कि राजनीतिक मुद्दों को बीच में लाने के बजाय क्या यह उचित नहीं था कि राहुल गांधी धन्यवाद प्रस्ताव के केन्द्र में ही अपनी बात रखते। वैसे भी राजनीतिक मुद्दों पर बोलने के लिए राहुल के पास भी पूरे पांच साल का समय है। यह बात सही है कि राहुल के भाषण को लेकर राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से अलग-अलग निहितार्थ निकालेंगे। इस मुद्रे पर आने वाले दिनों में राजनीति भी गरमाएंगी। लेकिन क्या यह राजनीति इस समय प्रासारिंग करानी जा सकती है? वह भी तब, जब बीते छह महीने से देश राजनीति के दांवपेंच ही देखता आ रहा है। इन दांवपेंचों को देख-परखकर ही सभी दलों को जनादेश मिला है। जनादेश एनडीए को सत्ता में और ईंटिया गठबंधन को विपक्ष में बैठने के लिए है। विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह मुद्दों के आधार पर सत्ता पक्ष को सदन से लेकर सड़क तक धेरे। जनता की

आवाज को तरीके से उठाए भी। आज भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही और भाजपा विपक्ष में। हर दल को अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बारे में टिप्पणी करते समय सरकारी वरतने की जरूरत है। लोकतंत्र में सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन संसदीय परंपराएं और मरार्दी अक्षुण्ण रहती हैं। हम इसलिए सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं क्योंकि हमने लोकतांत्रिक परंपराओं को साल दर साल संपन्न किया है। चुनाव में कोई भी जीता-हारा, सत्ता हस्तांतरण

नये भारत में बदलाव के कानून, न्याय की ओर

-१ ललित

भारतीय न्याय प्रणाली की कमियां को दूर करते हुए उसे अधिक चुस्त, त्वरित एवं सहज सुलभ बनाना नये भारत की अपेक्षा है। मतलब यह सुनिश्चित करने से है कि सभी नागरिकों के लिये न्याय सहज सुलभ महसूस हो, कानूनी प्रावधान न्यायसंगत एवं अपराध-नियंत्रण का माध्यम हो, वह आसानी से मिले, जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त होकर सस्ता हो। निश्चित रूप से किसी भी कानून का मकसद नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति व अधिकारों की रक्षा करना ही होता है। जिससे किसी सभ्य समाज में न्याय की अवधारणा पुष्ट हो सके। 1 जुलाई, 2024 से भारत अपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरूआत होने जा रही है। न्याय का एक नया सूरज उदित हो रहा है, जब पूरे देश में लागू हुई भारतीय न्याय सहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य संहिता को लेकर उम्मीद करनी चाहिए कि यह बदलाव न्याय की कसौटी पर खरा उतरेंगे। इस दृष्टि से यह कानून से जुड़ी अकलियत उपलब्धियों से भरा-पूरा अवसर भारत न्याय प्रक्रिया को एक नई शक्ति, नई ताजगी और नया परिवेश देने वाला साबित होगा। उल्लेखनीय है कि कानूनी बदलाव से जुड़े ये तीनों विधेयक बीते साल संसद में पारित किये गए थे। अंग्रेजों के बनाये कानून क्या स्वतंत्र भारत में साढ़े सात दशक बाद भी लागू रहने चाहिए, यह लम्बे समय से विमर्श का विषय बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी, आधुनिक, तकनीकी बनाने को बदलने एवं आधुनिक अपेक्षाएँ के नये कानून बनाने का साहसिर एवं प्रासारिक कदम उठाते हुए कानून लाने एवं उड़े लागे करने व बड़ा कदम उठाया है, जो सुखद एवं स्वागतयोग्य है। विपक्षी दलों सांस्कृतिक, धार्मिक व भौगोलिक विविधता वाले देश के लिये बन गये कानूनों को भले ही व्यापक सार्वजनिक विमर्श के बाद ही लिया जाने की अपेक्षा व्यक्त की है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई जा रहा है कि जहाँ ब्रिटिश काल बने कानूनों का मकसद दंड देना शर्वां नये कानूनों का मकसद नागरिकों को न्याय देना है। मौजूदा चुनौतियों व जरूरतों के हिसाब कानूनों को बनाया गया है। इन कानूनों को बनाने का मूल उद्देश अपराधमुक्त समाज की संरचना करना है। इसीलिये अपराधियों के कड़े दण्ड देने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संहिता में विवाह का प्रलोभन देकर छल के मामले में दस साल वस्तु, किसी भी आधार पर मामले लिचिंग के मामले में आजीवक कारावास की सजा, लूटपाट गिरोहबंदी के मामले में तीन साल व सजा का प्रावधान है। आतंकवाद नियंत्रण के लिये भी कानून है। किंतु अपराध के मामले में तीन दिन प्राथमिकी दर्ज की जाएगी त तु बनावाई के बाद 45 दिन में फैसला देने की समय सीमा निश्चिरित की गई है। वर्ही प्राथमिकी अपराध अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जरिये दर्ज की जाएगी। व्यवस्था बदल गई है कि लोग थाने जाए बिना ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कर सकें।

इमरजेंसी, घोषित और अघोषित

- राजेंद्र शर्मा

यह मामला एक केजरीवाल का ही नहीं है, हालांकि दिल्ली के चमिनिस्टर का यह मामला इस लिहाज से दुर्भाग्य है कि स्वतंत्र भारत सत्ता दशक से ज्यादा के इतिहास में, इससे पहले किसी भी और चमिनिस्टर को, साकृतिक अदालती दंडात्मक कार्रवाई को छोड़कर, इस तरिफ़ परिप्रकाश नहीं किया गया था। लगभग ऐसे ही मामले में एक और विचारपूर्ण मिनिस्टर, हेमंत सोरेन लगभग पांच महीने बाद पिछले ही सप्ताह उम्मीदवारों के खिलाफ़ एक अदालती दंडात्मक कार्रवाई को छोड़कर, इससे पहले सत्र की शुरूआत, सत्ता पक्ष द्वारा पचासवाँ सालगिरह के नाम (जबकि गणित के हिसाब से यह 49वाँ सालगिरह ही थी), श्रीमती डॉ गांधी की 1975 की 25-26 जून की मध्यवर्ती की आंतरिक इमरजेंसी घोषणा को जी भरकर गरियाने के साथ हुई है, उसी की चर्चा के पहले ही की शुरूआत, बैठक शुरू होने से पहले विषयक द्वारा अपने खिलाफ़, केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग के विरुद्ध संसद के दरवाजे पर विरोध प्रदर्शन निकलने के साथ हुई। जाहिर है कि इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के चमिनिस्टर, अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद रखे जाने का मुद्दा, नियमों का उल्लंघन करने का मुद्दा, सरकार द्वारा विषयक के खिलाफ़ इडी, सीबीआई आदि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दरुयोग किए जाने के खास उदाहरण के तौर पर उठाया जा रहा

इमरजेंसी, घोषित और अघोषित

- राजद्रौश

यह मामला एक कंजरावाल का हो नहीं है, हालांकि दिल्ली के चौमिनिस्टर का यह मामला इस लिहाज से दुर्भभतम है कि स्वतंत्र भारत सात दशक से ज्यादा के इतिहास में, इससे पहले किसी भी और चंद मिनिस्टर को, साकेतिक अदालती दंडात्मक कार्रवाई को छोड़कर, इस तरह गिरफ्तार नहीं किया गया था। लगभग ऐसे ही मामले में एक और विचारी चीफ मिनिस्टर, हेमंत सोरेन लगभग पांच महीने बाद पछले ही सप्ताह जून से छुट्टे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि अठारहवीं लोकसभा के विषय पहले सत्र की शुरूआत, सता पश्च द्वारा पचासवीं सालगिरह के नाम (जबकि गणित के हिसाब से यह 49वीं सालगिरह ही थी), श्रीमती ईंटी गांधी की 1975 की 25-26 जून की मध्यवर्ती की आंतरिक इमरजेंसी घोषणा को जी भरकर गरियाँ के साथ हुई है, उसी की चर्चा के पहले दिनों की शुरूआत, बैठक शुरू होने से पहले विषय द्वारा अपने खिलाफ, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के विरुद्ध संसद के दरवाजे पर विरोध प्रदर्शन निकल जाने के साथ हुई। जाहिर है कि इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के चंद मिनिस्टर, अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद रखे जाने का मुद्दा, नियम सरकार द्वारा विषय के खिलाफ ईडी, सीबीआई आदि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किए जाने के खास उद्दाहरण के तौर पर उठाया जा रहा

A composite image featuring the Supreme Court of India building in the background, characterized by its large white dome and flag flying from a flagpole. In the foreground, the right side of Prime Minister Narendra Modi's face and shoulder are visible, wearing his signature orange Nehru jacket. The sky is overcast with birds flying in the distance.

यह कहने में काई हर्ज नहीं है कि इन कानूनों के माध्यम से देश में पुलिस सुधार को भी बल मिलेगा। पुलिस कानून-कायदे के तहत काम करने को विवश या बाध्य होगी। अंततः अब पुलिस को अनुशासित बनाने के साथ-साथ कारगर बनाने की ओर देश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पुलिस प्रशासन की सफलता इसी में है कि तमाम लोगों को यह महसूस हो कि कानून न्यायपूर्ण ढंग से लागू किया जा रहा है।

एक पहलू यह भी है कि पुलिस प्रशासन को कुशल और सक्षम बनाने के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आए। जिस स्तर की सेवा की उमीद लोग पुलिस से कर रहे हैं, उसके लिए सरकारों को पुलिस पर व्यव बढ़ाना होगा। सक्षम और सहयोगी पुलिस हमारे तेज विकास में कारगर होंगी। पुलिस को प्रशिक्षित एवं सक्षम बनाने के तंत्र भी नये तरीके से विकसित करने होंगे। एक तरह से इन कानूनी प्रावधानों को सहज एवं सरल बनाने के प्रक्रिये गये हैं।

ध्यान रहे, पिछले कानूनों में यह द कमी थी कि वे गरीबों को न दिलाने में असमानता के द्योतक उन कानूनों का इस्तेमाल गरीबों खिलाफ जितनी आसानी से ह था, उससे कहीं ज्यादा कठिनाई अमीरों के खिलाफ मामले दर्ज र थे। आरोप सिद्ध होने या सजा मामले में भी गरीबों को ही ज्ञ भुगतना पड़ता था। औपनिवेशिक के निर्मम या गरीब विरोधी कानूनों को समाप्त करने की मांग लंबे से हो रही थी। अब इन नये कानूनों ने ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह ले ली है, इस एहसास कराना होगा कि ब्रिटिश हिसाब से बने कानून अब देश नहीं चल रहे हैं। नए कानूनों में ताकत है कि इनसे अपने यहां संन्याय प्रणाली में आम नागरिकों अनुरूप आधुनिक बदलाव सकता है। केंद्र सरकार ने अ

काम कर दिया है और अब राज्यों को अपने स्तर पर इन अच्छे एवं प्रभावी कानूनों को लागू करने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और देश के ज्यादातर राज्यों में पुलिस जिस तरह से प्रशिक्षित हो रही है, इससे जुड़ी खबरों का सामने आना भी सुखद है। सक्षम और सहवेगी पुलिस नये भारत-सशक्त भारत-विकसित भारत में कारगर होगी।

सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुरूप राजद्रोह कानून को तो हटा दिया गया है लेकिन राष्ट्रीय एकता, अखंडता व संप्रभुता के अतिक्रमण को नये अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संगठित अपराधों के लिये तीन साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही अपराध की जांच-पड़ताल को आधुनिक तकनीक के जरिये न्यायसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। जिसमें फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाना भी अनिवार्य है ताकि अपराधी संदेह का लाभ न उठा सकें। दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी होगी। सरकार अग्रेजी के स्थान पर हिन्दी या स्थानीय भाषाओं में न्याय प्रक्रिया को संचालित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लाने जाएंगे। एक जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले तीन नये कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नये कानून में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है जिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनान तक की समय सीमा तय है। साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों के जल्दी निपटारे करास्ता आसान होगा।

ओम कहुं मैं अनुभव अपना

@ राकेश अचल

लाक्समा मध्यपक्ष के नेता राहुल गांधी के पहले भाषण में परिपक्वता थी या बचपना ये तय करने के लिए आप। स्वतंत्र हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले दस साल में पहली बार सत्तारूढ़ दल को असुविधा का सामना





सिपाहसलार खिसियाए, भन्नाए, बमके किंतु राहुल की बोलती बंद नहीं कर सके। राहुल गांधी के भाषण के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षामंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और कषि मंत्री तक को खड़े लेकिन लोकसभा अध्यक्ष राहुल की एक भी बात को विलोपित करने की हिम्मत नहीं कर पाए। मामला हिंदुत्व का उठा, नफरत का उठा। हिंदू मुसलमान का उठा, नीट पेपर लीक का उठा। किसान

होकर राहुल के बारों से सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बचाना पड़ा। सदन में वर्षा बाद मानसून का असर दिखाई दिया। सत्ताधारी दल को पल-पल पर छाते लगाना पड़ा लेकिन बच कोई नहीं सका। सबसे बुरी और दयनीय दशा थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की। वे कसमसा रहे थे, तिलमिला रहे थे, लेकिन विपक्षी नेता पर हावी नहीं हो पा रहे थे। उनकी हैडमास्टरी काम नहीं आ रही थी। आखिर राहुल लोकसभा अध्यक्ष से प्रधानमंत्री से भी वरिष्ठ सांसद जो थे। सत्तारूढ़ दल के नेता गहल के का उठा। मणिपुर का उठा। अग्निवीर का उठा? सबसे ऊपर था देश को भयभीत करने का मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा कि माननीय ने देश के हर वर्ग को भयभीत करने की कोशिश की। यहां तक कि अपनी पार्टी के नेताओं तक को भयभीत कर रखा है। और हर मुद्दे पर सरकार या तो बौखलाई या फिर उसे बगले झांकने पर मजबूर होना पड़ा। कुल मिलाकर सरकार की दशा दयनीय थी। राज्य सभा में विपक्ष के नेता मलिलकार्जन खड़गे सरकार पर बरस रहे थे। वहां भी पीठाधीश्वर को बचाव की मदा में पग देश गुनगुनी लग रही है। कल तब ध्वनि मत से चलने वाली संसद में तर्क - विरक्त हो रहे हैं। संसद उत्तरदाई नजर आ रही है। हमें ऐसी तमाम संसदें देखी है। लेकिन ये पहली संसद है जिसमें संविधान भी है, शिव भी है और अविनाशी नेता भी। श्रीमती इंदिरा गांधी के युग में भी ऐसी संसद नहीं थी। आज की संसद में एक ओर मोशी की जोड़ी है तो दूसरी ओर राहुल - अखिलेश की जोड़ी है। एवं तरफ रथी है तो दूसरी ओर विरथी। पूरी संसद अधीर है। देश अधीर है। मैं भी अधीर हूँ। शायद आप भी अधीर हों। अधीरत में

